माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in E-mail ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 197/15/एन.एस.एस./एम.एस.यू./2024–25 दिनांक: 19 /02/2025

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
अनुस्मारक

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

2– कुलसचिव, ग्लोकल विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सहारनपुर।

विषयः–राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में आयोजित एक दिवसीय शिविर एवं सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र सं0 182 एवं 183/15/एन.एस.एस./एम.एस.यू./2024–25, दिनांक 10.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में आयोजित एक दिवसीय शिविर एवं सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु कतिपय महाविद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना अद्यतन अप्राप्त है। शासन के पत्र सं0 58/सत्तर–रा0से0यो0को0–2025, दिनांक 30.01.2025 में दिये गये निर्देशानुसार सभी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा दिन–रात का ही राष्ट्रीय सेवा योजना सात दिवसीय विशेष शिविर ही आयोजित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, दिवसीय शिविर हेतु शासन स्तर से धनराशि प्रेषित नहीं की जायेगी। अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों में ही दिवसीय विशेष शिविरों की अनुमति शासन से पूर्व सहमति लेकर ही दी जायेगी। संज्ञान में आया है कि कतिपय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों जो रिपोर्ट/आख्या/फोटोग्राफस् कार्यालय को प्रेषित की जाती है, उनमें महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों के स्वयं के छायाचित्र नहीं होते हैं,' जो अत्यंत खेद का विषय है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.01.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराते हुए सात दिवसीय विशेष शिविर की सूचना मूल रूप से अविलम्ब विश्वविद्यालय कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे शासन का ससमय सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

(1)

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in   E-mail ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 182 / 15 / एन.एस.एस. / एम.एस.यू. / 2024–25   दिनांक: 10 /01/2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

2– कुलसचिव, ग्लोकल विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सहारनपुर।

विषयः–सत्र 2024–25 में राष्ट्रीय सेवा योजना सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सात दिवसीय विशेष शिविर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपदवार तिथियों में आयोजित किये जाने हैं, सभी महाविद्यालय नीचे दी गयी जनपदवार तिथियों में आवश्यक रूप से शिविर आयोजित करा ले अन्यथा की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित विषय वस्तु **'कौशल विकास हेतु युवा'** को ध्यान में रखते हुए शिविर आयोजित होगें। यह शिविर महाविद्यालय से 08 कि0मी0 की परिधि में लगायें जायेंगे यदि एक महाविद्यालय में एक से अधिक इकाईयां है, तो अलग–अलग गांवो अथवा बस्तियों में शिविरों को आयोजित कराया जायें। भोजन / जलपान तैयार करने की व्यवस्था में छात्र / छात्राओं को लगाया जायें। अतः कृपया अभिगृहीत ग्राम / मलिन बस्ती का पूर्ण विवरण संलग्न अनुमति प्रोफार्मा में अंकित करते हुए विशेष शिविर आयोजित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय अथवा उ0प्र0 शासन की बिना लिखित अनुमति के आयोजित कोई भी शिविर मान्य नहीं होगा। तिथियों में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अथवा शासन द्वारा ही किया जा सकता है।

जनपद का नाम	विशेष शिवरों हेतु तिथियाँ
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली	06.02.2025 से 12.02.2025 14.02.2025 से 20.02.2025 18.02.2025 से 24.02.2025 22.02.2025 से 28.02.2025

संलग्नकः विशेष शिविर आयोजन हेतु प्रारूप।

भवदीय

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन हेतु अनुमति प्रोफार्मा

महाविद्यालय का नाम	
कार्यक्रम अधिकारी का नाम	
चयनित ग्राम/मलिन वस्ती का नाम	
शिविर स्थल की संस्था से दूरी	
चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम	
शिविर आयोजन की तिथि	
शिविर की प्रकृति (दिन–रात)	
शिविर स्थल तक पहुँचने का साधन	
दिशा व ग्राम प्रधान/सभासद का नाम/मो0नम्बर	
दिन–रात में शिविरार्थियों के ठहरने का स्थान/भवन/कमरा नंम्बर	

नोटः– उपरोक्त प्रारूप में दिये गये सभी कॉलमों से सम्बन्धित सूचना को आवश्यक रूप से भरें।

प्रति हस्ताक्षरित मुहर सहित
प्राचार्य/प्राचार्या
मोबाईल नम्बर
ई0मेल आई0डी0

हस्ताक्षर मुहर सहित
कार्यक्रम अधिकारी (रा0से0यो0)
मोबाईल नम्बर
ई0मेल आई0डी0

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in E-mail ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 103 / 15 / एन.एस.एस. / एम.एस.यू. / 2024–25 दिनांकः 10 / 01 / 2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

2– कुलसचिव, ग्लोकल विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सहारनपुर।

विषयः– सत्र 2024–25 में राष्ट्रीय सेवा योजना एक दिवसीय शिविर आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सत्र 2024–25 में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित होने वाले एक दिवसीय शिविर निम्नांकित तिथियों में आयोजित किये जायेंगें। उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित विषय वस्तु **"कौशल विकास हेतु युवा"** को ध्यान में रखते हुये शिविर आयोजित होगें। एक सत्र में अधिकतम चार एक दिवसीय शिविरों के आयोजन पर शासनादेश के अनुसार प्रति छात्र उपस्थित के आधार पर वित्तीय खर्च अनुमन्य किया जायेगा। सामान्य कार्यक्रम का अलग उपस्थित रजिस्टर बनाया जायेगा। जिस पर प्रत्येक शिविर की उपस्थित हेतु छात्र का नाम, पिता का नाम, कक्षा, पंजीकरण संख्या एवं हस्ताक्षर कॉलम अंकित रहेगा। इस शिविरों में वही स्वयंसेवक / स्वयंसेविका प्रतिभाग करेंगे जिनका नाम सत्र 2024–25 की पंजीकरण सूची में होगा व महाविद्यालय द्वारा रा0से0यो0 इकाई का पंजीकरण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा किया जा चुका है। अतः अभिगृहीत ग्राम / शहरी मलिन बस्ती का पूर्ण विवरण संलग्न प्रारूप पर अंकित करते हुए निम्नलिखित किन्ही चार तिथियों में एक दिवसीय शिविर आयोजित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें। जिसमें 03 एक दिवसीय शिविर विशेष शिविर से पहले और एक बाद में किया जाना है।

17.01.2025	25.01.2025	28.01.2025	29.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	27.03.2025	28.03.2025

संलग्नकः एक दिवसीय शिविर आयोजन हेतु प्रारूप।

भवदीय

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

(2)

राष्ट्रीय सेवा योजना
एक दिवसीय शिविरों की अनुमति हेतु प्रारूप

महाविद्यालय का नाम ....

कार्यक्रम अधिकारी का नाम..

ग्राम प्रधान/सभासद का नाम/ मोबाईल न0...

शिविर स्थल की महाविद्यालय से दूरी/दिशा..

चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम..

अनुमति हेतु प्रस्तावित तिथियाँः—

प्रथम शिविर...

द्वितीय शिविर...

तृतीय शिविर...

चतुर्थ शिविर...

एक दिवसीय शिविर सम्बन्धित ग्राम/मलिन बस्ती में अलग—अलग इकाईवार आयोजित किये जायेंगे। महाविद्यालय परिसर व सामूहिक इकाई में आयोजित एक दिवसीय शिविर मान्य नहीं किये जायेंगे।

प्रति हस्ताक्षरित मुहर सहित
प्राचार्य/प्राचार्या
मोबाईल नम्बर
ई0मेल आई0डी0

हस्ताक्षर मुहर सहित
कार्यक्रम अधिकारी (रा0से0यो0)
मोबाईल नम्बर
ई0मेल आई0डी0

103-NSS
30/01/25

अतिमहत्वपूर्ण / अनुस्मारक
संख्या–58 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2025

प्रेषक,

डॉ0 मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– कार्यक्रम समन्वयक,
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2025

विषयः– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रमों की सूचना फार्मेट–1 एवं 2 पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आवंटित छात्र संख्या के अन्तर्गत आयोजित विशेष शिविर कार्यक्रम दिवसीय–रात्री का समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित माध्यमिक मण्डल, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के पत्र संख्या–34 / सत्तर / रा0से0यो0को0–2025 दिनांक 17.01.2025 एवं शासन के पत्र संख्या–1175 / सत्तर / रा0से0यो0को0–10–09 / 2010 दिनांक10.12.2010 पर उल्लिखित दिशा–निर्देश के अनुसार सम्पन्न किया जाना है।

2– राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा अनिवार्य कार्य के रूप में आयोजित किये जाने वाले सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम का स्थान निर्धारण करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जायेः–

1. विशेष शिविरों के आयोजन के लिए स्थान गांव / मलिन बस्ती संस्थानों से न्यूनतम 8 कि. मी. की दूरी पर होना चाहिए।
2. प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित माध्यमिक मण्डल, उत्तर प्रदेश अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त रा.से.यो. इकाइयों को उपरोक्तानुसार विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त से सम्बन्धित सूचना दिनांक 03.02.2025 तक संलग्न फार्मेट–1 एवं 2 पर क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ के ई–मेल- nssrclucknow@gmail.com तथा शासन के ई–मेल- upsno.luck@gmail.com पर प्रेषित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
30.01.25
(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या– 68(1)/सत्तर–रा0से0यो0को0–2025,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2– निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

3– निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।

4– निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।

5– कुलसचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय इस आशय से प्रेषित कि सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रमों हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

6– क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

30/12/2025

(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

अतिमहत्वपूर्ण
संख्या–34 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2025

प्रेषक,

डॉ0 मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– कार्यक्रम समन्वयक,
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्त्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊः दिनांक 17 जनवरी, 2025

विषयः– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रमों की सूचना फार्मेट–1 एवं 2 पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि **राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आवंटित छात्र संख्या के अन्तर्गत आयोजित विशेष शिविर कार्यक्रम दिवसीय–रात्री का** समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित माध्यमिक मण्डल, उत्तर प्रदेश द्वारा **शासन के पत्र संख्या–1175 / सत्तर / रा0से0यो0को0–10–09 / 2010 दिनांक10.12.2010 पर उल्लिखित दिशा–निर्देश के अनुसार सम्पन्न किया जाना है।**

2– राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा अनिवार्य कार्य के रूप में आयोजित किये जाने वाले सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम का स्थान निर्धारण करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जायेः–

1. **विशेष शिविरों के आयोजन के लिए स्थान गांव / मलिन बस्ती संस्थानों से न्यूनतम 8 कि. मी. की दूरी पर होना चाहिए।**
2. **प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जा सकती है।**

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित माध्यमिक मण्डल, उत्तर प्रदेश अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले **समस्त रा.से.यो. इकाइयों को उपरोक्तानुसार विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त से सम्बन्धित सूचना संलग्न फार्मेट–1 एवं 2 पर क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ के ई–मेल- nssrelucknow@gmail.com तथा शासन के ई–मेल- upsno.luck@gmail.com पर प्रेषित करें।**

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या– 34(1)/सत्तर–रा0से0यो0को0–2025,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2– निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

3– निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।

4– निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।

5– कुलसचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय इस आशय से प्रेषित कि सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रमों हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

6– क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

17.01.2024

(डॉ0 मंजू सिंह)

विशेष कार्याधिकारी एवं

राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या–1175 / सतर–रा0से0यो0को0–10–09 / 2010

प्रेषक,

डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कार्यक्रम समन्वयक, रा0से0यो0,
रा0से0यो0 से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2. उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
रा0से0यो0 से संबंधित समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
योजना से संबंधित समस्त क्षेत्र / जोन, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊ दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर आयोजन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इकाईयों द्वारा रा0से0यो–सात दिवसीय (दिन–रात) शिविरों में निम्न बिन्दुओं के अनुसार विशेष शिविर का आयोजन किया जाय :–

1. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व 03 एक दिवसीय शिविर चयनित ग्राम में आयोजित किये जायं। प्रथम एक दिवसीय शिविर में अभिगृहीत क्षेत्र का सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र पर कराया जाय। सर्वेक्षण में साक्षरता व स्वच्छता की स्थिति के साथ–साथ वृद्धों की समस्याओं, कूड़ा–प्रवन्धन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, विकलांग / असहाय महिलाओं की समस्यायें, कुष्ठ रोग, सूखा रोग, गठिया, महिलाओं के चिकित्सा की व्यवस्था, स्वरोजगार की उपलब्धता आदि की जानकारी ली जाय। अन्य एक दिवसीय शिविरों में उक्त समस्याओं में से कतिपय समस्याओं का चयन कर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाय।
2. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व शिविर आयोजन की सूचना महाविद्यालय द्वारा 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर 1. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, भारत सरकार, लखनऊ 2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0कोष्ठक) विभाग को भेजा जाय। सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्यक्रम अधिकारी एवं महाविद्यालय प्राचार्य के मोबाईल नं0 तथा शिविर स्थल तक पहुँचने के मार्ग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए भेजी जाय।
3. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व प्रतिभागी स्वयंसेवकों को बैज, डायरी प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाय। स्वयंसेवक प्रत्येक कार्य दिवस में किये गये कार्यो का उल्लेख करें तथा कार्यक्रम अधिकारी उनके कार्य के सत्यापन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस पर हस्ताक्षर करें।
4. शिविर स्थल पर स्वयंसेवकों के उपस्थिति का रजिस्टर बनाकर रखा जाय तथा प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 8.00 बजे व रात्रि 09.00 बजे उनके दो बार हस्ताक्षर करायें जाय ताकि कार्यक्रम अधिकारी को स्वयंसेवकों की संख्या पर सन्देह न रहे।
5. विशेष शिविर के प्रोजेक्ट में प्रतिदिन दैनिक कार्यो में मध्यान्ह भोजन के बाद एक बौद्धिक गोष्ठी तथा सायं सत्र में भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाय।
6. विशेष शिविर स्थल पर स्वयंसेवकों की टोली बनाकर भोजन व जलपान उन्हीं के द्वारा बनवाया जाय।

बाजार से लन्च पैकेट, रेडीमेड खाद्य सामग्री का प्रयोग प्रतिबन्धित है।

7. राष्ट्रीय सेवा योजना की थीम प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे विशेष शिविर के प्रोजेक्ट में रखा जाय।

8. विशेष शिविर के आयोजन हेतु तिथियों का निर्धारण वि0वि0/मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र स्तर से किया जाय। दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी माह में शिविर आयोजन हेतु छात्र संख्या के आधार पर कतिपय तिथियों का निर्धारण कर लिया जाय। प्रयास यह किया जाय कि एक जनपद में एक ही तिथि अन्तराल (Date-Span) पर विशेष शिविरों का आयोजन हो। मार्च माह में शिविरों के आयोजन की अनुमति विशेष परिस्थिति में ही दी जाय।

9. भारत सरकार के मैनुवल में विशेष शिविर का आयोजन दिवसीय किये जाने का उल्लेख नहीं है। मात्र लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिवसीय शिविरों का आयोजन मान्य नहीं है। अत्यन्त विशिष्ट परिस्थिति में ही दिवसीय विशेष शिविरों की अनुमति शासन से पूर्व सहमति लेकर दी जाय।

10. विशेष शिविर आयोजन की सूचना भारत सरकार व राज्य सरकार का शिविर आयोजन से 15 दिन पूर्व दी गयी है, की पुष्टि होने पर विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल व प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र द्वारा विशेष शिविर आयोजन हेतु अनुदान चेक द्वारा जारी किया जाय।

11. ग्राम का चयन महाविद्यालय/कालेज के निकट (08 किमी की परिधि के अन्दर) किया जाय। अम्बेडकर ग्राम/मलिन बस्ती के चयन पर प्राथमिकता दी जाय। शिविर का उद्घाटन व समापन शिविर स्थल पर ही किया जाय। महिला स्वयंसेवकों की स्थिति में यदि शिविर स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा/आवासीय सुविधा न हो तो कार्यक्रम समन्वयक को अवगत कराते हुए महाविद्यालय में आवासीय व्यवस्था की जा सकती है। शिविर स्थल के रूप में दर्शनीय स्थल/पर्यटक स्थल का चयन मान्य नहीं होगा। स्वयंसेवकों को विशेष शिविर के दौरान किसी तीर्थस्थल व अन्य जगह भ्रमण पर ले जाना भी वर्जित है। महाविद्यालय से शिविर स्थल तक आने जाने पर धनराशि का व्यय मान्य नहीं है।

12. विशेष शिविर के आयोजन के पहले दिन स्वयंसेवक प्रत्येक दशा में प्रातः 10.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुंचे। शिविर समापन (सातवे दिन) अपराह्न 4.00 बजे कराया जाय। समापन के बाद स्वयंसेवकों को भोजन आदि कराते हुये शिविर स्थल से विदाई की जाय। रात्रि में यदि शिविर स्थल से घर जाने में असुविधा हो तो कार्यक्रम अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि रात्रि में स्वयंसेवकों को शिविर स्थल पर रोकते हुए प्रातः घर भेजा जाय।

13. शिविर में सर्वे के आधार पर विशिष्ट लोगों यथा–डाक्टर, चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य लाभ हेतु योगा, फीजियोथिरैपिस्ट, नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत के लोगों को बुलाया जाय, सर्वे में प्राप्त विभिन्न कमियों को दूर करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कराया जाय।

14. शिविर स्थल पर छात्र पंजीकरण की सूची, उपस्थिति पंजी के साथ–साथ अन्य अभिलेख भी रखे जाय, जिसे निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जाय।

15. शिविर स्थल पर शिविरार्थियों के रुकने की संतोषजनक व्यवस्था हो। दरी, गद्दे, कम्बल, रजाई की व्यवस्था स्वयंसेवक स्वयं करेंगे तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

16. निरीक्षण अधिकारी को स्वयंसेवकों के रुकने हेतु सभी सामान व खाने की व्यवस्था उपलब्ध है, दिखाया जाय। निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्वयंसेवकों से हस्ताक्षर कराकर सूची उपलब्ध कराना कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

17. निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को पूर्णरूप से भरा जायेगा, जिस पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाय।

18. सामान्य कार्यक्रम व विशेष शिविर का अनुदान अलग-अलग चेक द्वारा दिया जाय।

19. विशेष शिविर हेतु अनुदान सूचना प्राप्ति के पश्चात् एकमुश्त दिया जाय। विशेष शिविर का अनुदान दो किश्तों में दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

20. विशेष शिविर के आयोजन के बाद अंतिम एक दिवसीय शिविर का आयोजन कर पूर्व के समस्त कार्यक्रमों का मूल्यांकन कराया जाय तथा अवशेष रह गये कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय।

कृपया उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,
डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या–1175(1)/सत्तर–रा0से0यो0को–9/2010, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, योजना संबंधित समस्त विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, वाई0एस0–III, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय केन्द्र, हाल नं0–1, आठवाँ तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज लखनऊ को सूचनार्थ।

आज्ञा से,
डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।